

वर्तमान में भारत में निरन्तर जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान

श्रीमती मिनाक्षी भार्गव*

* पीएचडी स्कॉलर, स्कूल ऑफ सोशल साइंस (समाजशास्त्र) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आजादी के पश्चात् भारत की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा राष्ट्र जनसंख्या में आगे आ गया है। अब तो चीन भी जनसंख्या वृद्धि में भारत से पीछे रह गया है। अब तो चीन भी जनसंख्या वृद्धि में भारत से पीछे रह गया है। पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सन् 2000 की स्थिति के अनुसार चीन में 21.7 प्रतिशत, अमेरिका में 6 प्रतिशत, रूस 5 प्रतिशत के रूप में जनसंख्या वृद्धि दर हो गई है।

आजादी के पूर्व पाकिस्तान की जनसंख्या 14.19 करोड़, बांग्ला देश की 21.34 करोड़, नेपाल की 2.37 करोड़, श्रीलंका की 1.89 करोड़, भूटान की 10 लाख थी।

भारत की जनसंख्या 1931 में 27.89 करोड़, 1947 में 31.86 करोड़, 1951 में 36.10 करोड़, 1981 में 68.51 करोड़, 1991 में 84.96 करोड़, 1997 में 95.52 करोड़ और सन् 2000 में 100.30 करोड़ हो गई।

इस प्रकार हमारे देश में 1931-41 के दशक में 3.96 करोड़ लोग अपनी आबादी में जोड़े, 1941-51 में 4.24 करोड़ की वृद्धि हुई। 1951-61 के दशक में 7.66 करोड़, 1961-71 के दशक में 11.35, 1981-91 में 15.96 करोड़ और सन् 2000 में 15.36 करोड़ लोगों की बढ़त जनसंख्या में हुई। इस प्रकार हर दशक में जनसंख्या में अधिक वृद्धि होती गई।

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर 1991 तक हर छटा व्यक्ति भारतीय था। भारत हर दिन अपनी जनसंख्या में लगभग 43.281 व्यक्ति जोड़लेता है। भारत हर दिन अपनी जनसंख्या में एक दशक में लगभग 49 प्रतिशत की वृद्धि दर बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आंकी गई है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण

1. जन्म और मृत्यु की दरों में बढ़ती हुई दरार – भारत में जन्म दर मृत्यु दर से बहुत अधिक है। औसत जन्म दर वार्षिक दर 1961-71 के दौरान 41.2 प्रति हजार से घट कर 1971-81 में 32.2 प्रति हजार हो गई।

इसी प्रकार मृत्यु दर में भी कमी आई है। 1961-71 के दशक में 19.2 प्रति हजार से कम होकर 1971-81 के दशक 15 प्रति हजार हो गई।

पिछले पन्द्रह वर्षों में परिवार का औसत आकार 4.2 बच्चों पर ठहरा हुआ है। इस प्रकार परिवार नियोजन के युग में 15-45 वर्षों में प्रजनन आयु समूह में किसी भी समय पाँच भारतीय स्त्रियों में से एक गर्भवती होती है।

जन्म दर और मृत्यु दर का रहन-सहन के स्तर से गहरा संबंध है। जैसे-जैसे जीविका का स्तर ऊंचा होता जाता है मृत्यु दर तो कम होता ही है,

पर जन्म दर में भी तीव्र कमी होती है। यही कारण है कि जन्म दर व जनसंख्या वृद्धि में कमी होती है। यही कारण है कि जन्म दर व जनसंख्या वृद्धि में कमी के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक विकास दर अधिक बल दिया जाता है। भारत में पिछले 53 वर्षों में विकास अवश्य हुआ है। आजादी के पूर्व उत्पादन विकास दर जब केवल 1.00 प्रति वर्ष थी, वर्तमान में यह 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है। जब जनसंख्या की वृद्धि 3.5 प्रति वर्ष है तब उत्पादन विकास दर अच्छा ही जायेगा।

परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक विचार – जो व्यक्ति धर्म के मामले में परम्परागत और रूढ़िवादी विचार रखते हैं वे परिवार नियोजन के उपायों के उपयोग के विरुद्ध होते हैं। ऐसी स्त्रियाँ देखने को मिलती हैं जो परिवार नियोजन की इसलिए पक्ष धर नहीं हैं कि वे भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। ऐसी भी स्त्रियाँ जो यह दलील देती हैं कि स्त्री के जीवन का उद्देश्य बच्चों को जन्म देना है। दूसरी स्त्रियाँ निष्क्रिय रूप अपनाती हैं, यदि मेरे भाग्य में अधिक बच्चे लिखे हैं तो वे होंगे। यदि नहीं, तो नहीं होंगे। मुझे क्यों इसकी चिन्ता करनी चाहिए।

भारतीय मुसलमानों में हिन्दुओं की अपेक्षा जन्म दर अधिक है। मुस्लिम महिलाओं में जन्म दर 4.4 है तो हिन्दुओं में 3.3 है। अक्सर यह देखा गया है कि मुस्लिम पुरुष ही परिवार नियोजन के प्रति विरुद्ध मत रखता है।

उच्च वर्ग के लिए बड़े परिवार का होना कोई समस्या नहीं है दूसरी ओर निम्न वर्ग के लिए कमाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होने से बड़े आकार का परिवार लाभदायक माना जाता है। इस कारण निम्नवर्ग का परिवार नियोजन के प्रोग्राम संबंधी नारे को कोई महत्त्व नहीं देता। इनकी प्रेरणा के लिए इनकी आर्थिक उन्नति आवश्यक है जो उनके विचारधाराओं को बदलेगी और यह तथ्य स्वीकार करायेगी कि बच्चों की शिक्षा व रहन-सहन का उच्च स्तर ही इनके भविष्य को सुधारेगा।

यद्यपि शासन में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़कियों पर अधिक बल दिया जाने लगा है।

जनसंख्या वृद्धि के लिए कुछ जिम्मेदार कारण भी हैं। जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली और इन परिवारों में बच्चों को पालने की युवा दम्पतियों में जिम्मेदारी का अभाव, मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव, और नसबंदी और लूप के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव या गलत जानकारीयाँ।

नसबंदी के मामलों में पुरुष वर्ग में भी अनेक भ्रांतियाँ हैं जिसमें प्रमुख रूप से पुरुषों में नपुंसक होने का भय, कामवासना की क्षति और पौरुष शक्ति का घटते जाना-आदि उपाय परिवार नियोजन के प्रति अवरोध उत्पन्न

करते हैं।

कई गरीब स्त्रियाँ अधिक बच्चे पैदा करती हैं इसके लिए मन्तव्य यह था कि इन्हें इनकी आवश्यकता होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चार पाँच करोड़ बालमजदूर हैं। माचिस और पटाखों के उपयोग में ही लगभग 75000 बाल मजदूर हैं। इससे कम 45,000 हजार बच्चे पन्द्रह वर्ष की आयु से भी कम हैं। लगभग 10,000 मजदूर दस वर्ष से भी कम के हैं।

जनसंख्या विस्फोट के परिणाम – जनसंख्या का यह विस्फोट का कारण है कि स्वतंत्रता के बाद कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अपूर्व प्रगति हुई। इसके परिणाम स्वरूप आय की मात्रा में भी बढ़ोत्तरी हुई। नगरों में आश्चर्यजनक रूप से भीड़-भाड़ बढ़ गई, बिजली और दूसरी सेवाओं को नगरीय संख्या में अत्यधिक बढ़ गई। इसी के परिणाम से शहरों में क्षेत्रीय अपराध भी बढ़ गये। हमारे देश में 1.158 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष बढ़ जाते हैं। इस बढ़ती संख्या के कारण बेरोजगारों की, भूखे और निराश व्यक्तियों की भीत भी बढ़ती रही। इन बढ़ती जनसंख्या के कारण अस्सी के दशक में जनसंख्या विस्फोट जन सामान्य में आतंकवाद और अलगाववाद ने जोर पकड़ा। नब्बे दशक में मामलों में और भी जनसंख्या बढ़ती गई।

जनसंख्या नीति – जनसंख्या के आकार, संरचना वितरण और विशेषताओं को प्रभावित करने का प्रयत्न किया गया। भारत जैसे विकासशील जनसंख्या नीति के लक्ष्य देश को बनाने पड़े जिसमें निम्नांकित नीति का वर्णन किया जा सकता है-

1. जन संख्या को घटाना।
2. जनसंख्या में जागरूकता उत्पन्न करना।
3. आवश्यक गर्भ निरोधक वस्तुओं को उपलब्ध करवाना।
4. कानून बनाना जैसे गर्भपात को वैध करवाना और प्रोत्साहन देना। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में व्यक्तियों के केन्द्रीयकरण पर रोग लगानी चाहिए। 1952 में जनसंख्या नीति लागू करने का प्रयास किया गया। धीरे-धीरे इसमें वैज्ञानिक योजनाओं का समावेश किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति ने 1938 में इसी जनसंख्या नीति पर कांग्रेस ने योजना पर काम किया। सन् 1940 में राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में जनसंख्या पर नीति निर्धारण किया गया। जिसमें सरस्ते और निरापद तरीकों की जानकारी फैलाना, संतति-निग्रह चिकित्सालयों को खोलने पर भी बल दिया गया। इसके अलावा विवाह की आयु बढ़ाना, बहु-विवाह को रोकना आनुवांशिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को जनसंख्या पर रोक लगाने के वैज्ञानिक तरीकों का अत्यधिक बल देना आदि योजनाओं पर विचार किया गया।

सन् 1953 में परिवार नियोजन शोध और परियोजना का गठन किया गया।

1956 में केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना की गई। 1960 के दशक में जनसंख्या के विकास को यथोचित समय में स्थिर करने के लिए अनेक सशक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम क्रियान्वित करने का लक्ष्य बनाया गया।

स्वामी नाथन केमेट्री -

उक्त समिति ने जनसंख्या नियंत्रण पर निम्नांकित उपाय सुझाये-

1. 2010 ई. तक 2.1 कुल प्रजनन क्षमता दर के लक्ष्य को प्राप्त करना।
2. तीव्र और न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में कार्यक्रम लागू करना।
3. पंचायतों, नगरपालिकाओं और राज्यों को विधायकों के माध्यम से वर्तमान उर्ध्वातकार संरचित परिवार कल्याण कार्यक्रम के स्थान पर

विकेन्द्रीकृत, लोकतांत्रिक नियोजन लागू करना।

4. प्रजनन क्षमता दर के राष्ट्रीय औसत उपलब्धि के लक्ष्य को छोड़कर केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा विशेष गर्भ निरोध विधियों के प्रयोग के लिए लक्ष्य निश्चित करना विचार त्यागना।
5. गर्भ-निरोध विधि प्रयोगकर्ताओं और उनके प्रेरकों को नगद या वस्तु के रूप में दिया जाने वाला प्रोत्साहन समाप्त किया जाये।
6. देश की जनसंख्या नीति को नियोजित, क्रियान्वित तथा संचालित करने के लिए राज्य जनसंख्या एवं सामाजिक विकास आयोग की नियुक्ति करना।
7. इस समय परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी बनकर रह गई है, स्पष्ट रूप से आवश्यकता इस बात की है कि परिवार सीमित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी को स्त्रियों पर रखने की प्रवृत्ति को रोका जाये।

उक्त समिति की अनुशंसा पर कुछ आलोचकों ने असहमति व्यक्त की है। सिर्फ यह दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सखा कि विकास का सबसे अच्छा गर्भ निरोधक ही माना है। न्यूनतम आवश्यकताओं और जनसंख्या नियंत्रण का कोई संबंध नहीं माना है। वस्तुतः भारत में जनसंख्या नियंत्रण की राह में सबसे बड़ी बाधा राजनैतिक उदासीनता है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति – भारत पहला देश था जिसने 1950 के दशक में सरकार के सहारे चला जाने वाला परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार किया जबकि विश्व के शेष भाग में इस समस्या से अपरिचित था।

इसके बाद भी परिवार नियोजन की कुछ और योजनाओं का प्रयास किया गया। वस्तुतः देश के पास कोई प्रभावी कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया। जनसंख्या नियंत्रित करने में राष्ट्र की प्रगति अत्यधिक धीमी रही है। देवेन्द्र कोठारी ने राजस्थान में 1988 में किये गये सर्वेक्षण में पाया कि अध्ययन किये गये। व्यक्तियों में से 88.1 प्रतिशत परिवार नियोजन के पक्ष में थे। और 11.9 प्रतिशत विपक्ष में थे। परिवार नियोजन सर्वेक्षण 1993 के निष्कर्षों के अनुसार राजस्थान में 13-49 आयु- समूह की वर्तमान में विवाहित महिलाओं में 90 प्रतिशत के परिवार नियोजन की कोई एक विधि ज्ञात थी, 76.2 प्रतिशत को गर्भनिरोधक वस्तु पाने का साधन भी मालूम था परन्तु केवल 31.8 प्रतिशत ही वास्तव में किसी एक गर्भ निरोधक उपाय का प्रयोग कर रही थी।

कुछ और गर्भ निरोधक उपायों पर विशेषज्ञों ने अपनी राय जाहिर की है।

जिनमें कुछ उपायों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार-

1. कम आयु में विवाह पर नियंत्रण किया जाये।
2. आर्थिक विकास- आर्थिक विकास एक उत्कृष्ट गर्भ निरोधक सिद्ध होता है। मांग और आपूर्ति के विशुद्ध आर्थिक सिद्धांत के अनुसार परिवार पर नियंत्रण बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
3. महिलाओं की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा सकता है।
4. प्रजनन योग्य दम्पतियों पर गर्भ निरोधक उपायों पर अनिवार्य बल दिया जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वैनर्जी डी- फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, न्यू देहली 1971
2. चन्द्रशेखर एस- भारतीय जनसंख्या वास्तुस्थिति व नीति
3. मिश्रा बी.डी. परिवार-नियोजन समिति
4. एस. के मुखर्जी-परिवार नियोजन 1976